

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश

संख्या:सी- 141 /ई-2/171 विविध/स्था./17, लखनऊ : दिनांक : जून 29, 17

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल), जिन्हें कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध किया गया था, को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान/खण्ड में एतद्वारा पदस्थापित किया जाता है:-

क्रमांक	सहायक अभियन्ता का नाम/जन्मतिथि/गृहजनपद	वर्तमान तैनाती का स्थान व दिनांक	प्रस्तावित पदस्थापना	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	सर्वश्री अशोक कुमार सिंह (कौशाम्बी)	सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	अनुसंधान एवं नियोजन यूनिट-4, लखनऊ	रिक्त पद पर।
2.	प्रीतम सिंह (महोबा)	सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड-2, लखनऊ	रिक्त पद पर।
3.	महेन्द्र प्रताप सिंह (गाजीपुर)	सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	अनुसंधान एवं नियोजन (बाढ़) मण्डल, यूनिट-7, लखनऊ	रिक्त पद पर।
4.	राधेश्याम (मथुरा)	सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड-3, लखनऊ	रिक्त पद पर।
5.	राकेश कुमार श्रीवास्तव (फतेहपुर)	सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल-8, यूनिट-6, लखनऊ	रिक्त पद पर।
6.	मो० जावेद (सुल्तानपुर)	सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सहभागिता सिंचाई प्रबन्धन प्रकोष्ठ, लखनऊ	रिक्त पद पर।
7.	राजेश कुमार (मैनपुरी)	सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	परियोजना कियान्वयन ईकाई-2, लखनऊ	रिक्त पद पर।

पी० के० सिंह
प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग

संख्या:सी- 141 /ई-2/दिनांक: 29/6/17


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० सिंचाई मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।
2. उप सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-13, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

कमश:-----2-

(2)

3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय साथ प्रेषित है कि अपने अधीनस्थ स्थानान्तरित सहायक अभियन्ता को इन स्थानान्तरण आदेशों की प्रति हस्तगत कराते हुये एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना अवमुक्त कर दें। स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करते हुये संबंधित अधिकारी को कार्यमुक्त नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी। स्थानान्तरित अधिकारी आदेश की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर नवीन तैनाती के स्थान पर बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये कार्यभार ग्रहण कर लें। कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।
4. अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर लोड करने हेतु।
5. अधिशासी अभियन्ता, चरित्र पंजी प्रकोष्ठ (ई-2), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. वैयक्तिक सहायक, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई/परिकल्प एवं नियोजन/परियोजना/मुख्य अभियन्ता (कार्मिक-स्तर-1), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. महासचिव, उत्तर प्रदेश सहायक अभियन्ता संघ/सिविल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, लखनऊ।
8. वैयक्तिक पत्रादली/कट फाइल।

 09.06.17

(नीरज कुमार)

मुख्य अभियन्ता (कार्मिक-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग